द्वितीय अध्याय

हिंदी भाषा की संरचना।

द्वितीय अध्याय

(अ) हिन्दी भाषा की संरचना विवेचन --

वाक्य के गठन तथा विन्यास पक्ष को देखते हुए कहा जा सकता है कि परस्पर संबंध मात्रिक इकाइयाँ जब किसी एक निश्चित क्रम और श्रृंखला में सुनियोजित होकर कथन या वाक्य का रूप धारण करती हैं। तो कथन या वाक्य का रूप धारण करने की यह प्रक्रिया संरचना कही जा सकती है। संरचना मात्रिक इकाइयों का चयनीकृत सुनियोजित श्रृंखलाबद्ध रूप होता है। एक भाषा को दूसरी से अलग करने वाला प्रधान तत्व संरचना ही है।

किसी भाषा की संरचना-व्यवस्था में मुख्यत: ये पक्ष समाविष्ट होते है। लिंग-व्यवस्था, वचन-व्यवस्था, पुरूष-व्यवस्था, कारक-व्यवस्था, काल-व्यवस्था, वृत्ति-व्यवस्था, वाच्य-व्यवस्था, अन्विति, अभिशासन, द्वितीय भाषा की संरचना-शिक्षण का अर्थ है - द्वितीय भाषा की वाक्य-संरचना के उपर्युक्त पक्षों का अध्ययन किया जाता है।[१]

पूर्व माध्यमिक पाठ्यपुस्तकों की दृष्टि से या स्तर की दृष्टि से उचित संरचना की जानकारी के बारे में डॉ. हेबाळकर व डॉ. पुष्पा वास्कर जी ने जो जानकारी दी है वह महत्वपूर्ण है। जिसका विवेचन उक्त अध्याय में किया है।

डॉ. हेबाळकर

पाँचवी से सातवीं तक के लिए

हिंदी (पूर्व माध्यमिक) आशय पद्धति-समन्वय

हिंदी भाषा संरचना

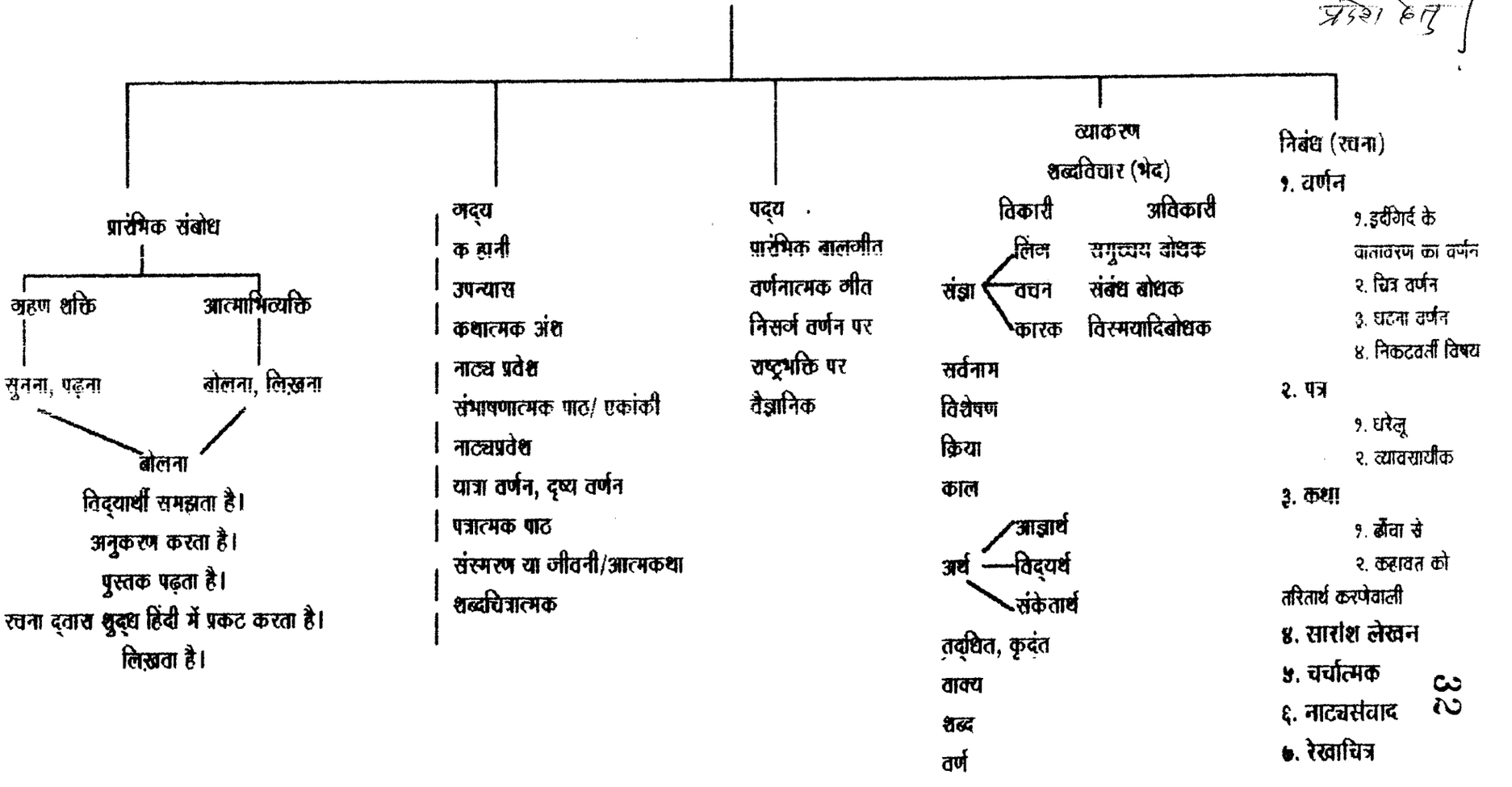

(आ) पूर्व माध्यमिक स्तर पर द्वितीय भाषा अध्यापन के उद्देश्य --

भारत की राष्ट्रीय भाषानीति : त्रिभाषासूत्र --

भारत एक बहुभाषा भाषी देश है। राष्ट्र के कर्णधारों ने संपर्क भाषा के रूप में हिन्दी को स्वीकृति प्रदान की थी। अत: उसके व्यापक स्तर पर प्रसार तथा शिक्षण के महत्व को राष्ट्र नेताओं तथा शिक्षा-शास्त्रियों ने स्वीकार किया है। समय-समय पर गठित किए गए शिक्षा आयोगों ने भी हिन्दी शिक्षा के शिक्षण पर पर्याप्त बल दिया है। संपर्क भाषा के साथ-साथ राजभाषा होने के कारण हिन्दी का प्रचार प्रसार विभिन्न राष्ट्रीय स्तरों पर तथा विचार-विनिमय, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार प्रशासन, संचार तथा सूचना आदि के लिए जितनी शिघ्रता से होगा, राष्ट्रीय एकता तथा उन्नति की दृष्टि से उतना ही अधिक हितकर होगा। हिन्दी सहित सभी भाषाओं की भाषिक और साहित्यिक समृद्धि के लिए भी आवश्यक है कि अहिंदी भाषी बालक हिन्दी और हिंदीभाषी बालक कोई अन्य भारतीय भाषा अवश्य सीखें। देश में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करने की दिशा में भी हिन्दी शिक्षण का योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा।

नवीन राष्ट्रिय शिक्षा नीति (१०+२+३) के अनुसार विद्यालय स्तर पर प्रत्येक छात्र के लिए त्रिभाषा सूत्र अनिवार्य माना गया है। त्रिभाषा सूत्र वस्तुत: माध्यमिक शिक्षा के संदर्भ में ही सामने आता है। कोठारी आयोग (१९६४) ने त्रिभाषा सूत्र का संशोधित रूप इस प्रकार प्रस्तुत किया है --

१) मातृभाषा। क्षेत्रीय भाषा ,
२) संघ की राजभाषा। सह-राजभाषा,
३) एक आधुनिक भारतीय भाषा। विदेशी भाषा जो (१) और(२) के अंतर्गत न ली गई हो और जो शिक्षा का माध्यम न हो।

त्रिभाषा-सूत्र के अनुसार मातृभाषा या क्षेत्रिय भाषा को अनिवार्यत: दस वर्ष तक पढना आवश्यक माना गया है।

फरवरी १९७९ में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषाओं के अध्ययन के बारे में कहा गया था —

१) प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षा का माध्यम हो ।

२) अन्य स्तरों पर क्षेत्रीय भाषा शिक्षा का माध्यम हो ।

३) माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा-सूत्र इस प्रकार लागू किया जाए -

(अ) हिन्दी क्षेत्रों के लिए - हिन्दी, अंग्रेजी और एक आधुनिक भारतीय भाषा (जिसमें दक्षिण भाषा को वरीयता दी जाए)

(ब) अहिन्दी क्षेत्रों के लिए-क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिन्दी[२]।

प्रथम भाषा शिक्षण की भाँति ही आज के जमाने में द्वितीय भाषा शिक्षण का भी काफी महत्त्व है ।

१) प्राय: अनेक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन-यापन के लिए मातृभाषा की अपेक्षा द्वितीय भाषा के मुखापेक्षी होते है । वाणिज्य, व्यापार, अनुवाद, संपादन, पत्रकारिता, अध्यापन, लिपिक, न्यायालय, रेल-डाक, सूचना-प्रसार, बैंक , सेना-पुलिस, चिकित्सा, सचिवालय-विदेश सेवा आदि क्षेत्रों के लिए लोगों को मातृभाषा के अतिरिक्त द्वितीय भाषा सीखने की आवश्यकता होती है ।

२) अपने प्रांत के अतिरिक्त अन्य प्रांतों के या केंद्रिय राजनैतिक नेतृत्व के लिए संसद की कार्यवाहियों में यथी-भाँति भाग लेने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान आवश्यक है ।

३) देश के प्रशासन के विधियों विभागों में ताल-मेल बनाए रखने में इन विभागों में नियुक्त प्रशासकों को द्वितीय भाषा का ज्ञान पर्याप्त सहायता पहुँचाता है ।

४) अपने प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों । देशों की यात्रा करने,अन्य प्रदेशों के लोगों की सभा-गोष्टियों में भाग लेने तथा विचारों का आदान-प्रदान करने में द्वितीय भाषा का ज्ञान अच्छी भूमिका निभाता है ।

५) द्वितीय भाषा में उपलब्ध ललित साहित्य तथा उपयोगी साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने तथा उस भाषा में ज्ञ - ज्ञान को व्यक्त करने के लिए द्वितीय भाषा शिक्षण का काफी महत्व है ।

६) मातृभाषा और प्रथम भाषा से इतर भाषा । भाषाओं की संरचना की जानकारी प्राप्त करने के लिए भी द्वितीय भाषा-शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है ।

७) मातृभाषा प्रथम भाषा से इतर भाषा । भाषाओं की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति से सामान्यत: उदार दृष्टिकोण का विकास हो जाता है । द्वितीय भाषा-भाषियों की चिंतन शैली,संस्कृति-सभ्यता,रहन-सहन, आदि के बारे में अच्छी जानकारी पाने के लिए द्वितीय भाषा का शिक्षण महत्वपूर्ण है ।[3]

(६) पूर्व माध्यमिक हिन्दी पाठ्य पुस्तकों द्वारा अवगत भाषिक ज्ञान वाचन, लेखन, भाषण --

पूर्व माध्यमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों का निर्माण ७वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र भाषिक कौशलों से परिचित होने हेतु किया है । छात्रों के बौद्धिक स्तर को मद्य नजर रखते हुए ५ वीं ,६ ठीं और ७ वीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकें बनी हैं । पूर्व माध्यमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्यपुस्तकों द्वारा वाचन,लेखन ,भाषण के बारे में जो भाषिक ज्ञान प्राप्त होता है वह निम्न है ।

वाचन --

" लिपि - संकेतो या वर्णों का उनसे संबंध ध्वनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को वाचन कहा जाता है, किन्तु वाचन के मूल में अर्थ - ग्रहण की आवश्यकता भी छिपी रहती है ।" ४

छात्र पाठ्यपुस्तक द्वारा अक्षर और संयुक्ताक्षरों,के उच्चारण को समझाते हैं । छात्र मातृभाषा के शब्द,अक्षरों का उच्चारण और हिन्दी में उन शब्दों और अक्षरों के उच्चारण में होने वाले फर्क को समझाते हैं । छात्र पाठ्यपुस्तक का सस्वर और मौन वाचन करते हैं और हिन्दी का मानक व स्पष्ट उच्चारण करते हैं । छात्र मातृभाषा के कुछ वर्णों का जो हिन्दी भिन्न उच्चारण होता है उसे समझाते हैं । उदा. ऐ,औ और संयुक्ताक्षरों का मानक उच्चारण कर के वाचन करते हैं । छात्र अर्थ ग्रहण कर के मौन वाचन करते हैं । ५ वीं की अपेक्षा ६ ठीं में और ६ठीं की अपेक्षा ७वीं में छात्रों में वाचन की गती बढती है । ७वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्र मानक उच्चारण,उचित स्वराघात,आशय के अनुसार आवाज का आरोह-अवरोह,उचित गती के साथ सस्वर वाचन करता है । कविता का आशय समझाकर वाचन करता है । छात्र परिच्छेद पढने के बाद उसे आकलन होता है और उनपर पूछे प्रश्नों के उत्तर देता है । जिस घटक को छात्र पढता है, उसका आशय स्पष्ट करने की क्षमता उस में निर्माण होती है ।

लेखन --

` भाषा (मौखिक रूप ) की ध्वनियों को किसी लिपि के प्रतीकात्मक चिह्नों में अंकित करना ` लेखन ` कहलाता है ।* ५

छात्र पाठ्यपुस्तक द्वारा हिन्दी के सभी लिपि-संकेतों और उनके बने शब्दों को सुडौल और सुपाठ्य ढंग से लिखते हैं । छात्र सामान्य वर्तमान काल,सामान्य भूतकाल,सामान्य भविष्य काल,आज्ञार्थक,प्रश्नार्थक वाक्य लेखन करते हैं । छात्र फलक पर लिखे परिच्छेद का भानक अनुलेखन करते है । और विराम चिह्नों का उचित प्रयोग करना जानते है । छात्र अनुलेखन ,प्रतिलेखन,श्रुतलेखन करना जानते हैं । छात्र सरल और आसान विषयोंपर व्याकरण सम्मत भाषा में चार-छः वाक्यों से लेकर दो-तीन अनुच्छेदोंतक लिख सकते हैं । छात्र पाठ के आशय पर पूछे प्रश्नों पर सरल और आसान भाषा में उत्तर लिखते है । छात्र मद्दो के आधार पर कहानी लिखते हैं । छात्र घरेलु पत्र लेखन करते हैं । छात्र हिन्दी का भानक लेखन जानते है और हिन्दी परिच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद करते हैं और हिन्दी संख्याओं को भानक रूप में लिखते है ।

भाषण --

वागिंद्रिय द्वारा ध्वनि । ध्वनियों ,शब्दों,पदों ,पदबंधो ,वाक्यों का सामान्य रूप से बोलना तथा प्रसंगानुकूल उपयुक्त वाक्यों का प्रयोग करना भाषण कहलाता है ।* ६

भाषा के परिनिष्ठित रूप में प्रवाहपूर्ण,प्रभावपूर्ण शैली में अपने भावों-विचारों को अभिव्यक्त करना भाषण है ।

छात्र पाठ्यपुस्तक द्वारा प्राप्त ज्ञान के आधार पर अपने विचारों को हिन्दी में अभिव्यक्त करते है और हिन्दी की सभी ध्वनियों का अलग-अलग और स्पष्ट शब्दों में उच्चारण करते है । संयुक्ताक्षर वाले शब्दों का भानक उच्चारण करते है । छात्र बोलते समय बलाघात तथा अनुतान का प्रयोग करते हैं । मौखिक अभिव्यक्ति के समय व्याकरण सम्मत वाक्यों का प्रयोग करता है । छात्र सरल

विषयों पर सामान्य स्तर की बातचीत में भाग लेता है। हिन्दी में बाल-गीत और छोटी-छोटी कहानियाँ सुना सकता है। छात्र हिन्दी में संवादों को अभिनय की शैली में बोल सकता है। छात्र प्राप्त ज्ञान और अपने अनुभवों को सरल और आसान हिन्दी में अभिव्यक्त करता है। संख्या और अपूर्णांक की अभिव्यक्ती कर सकता है।" ७

पूर्वमाध्यमिक स्तर पर छात्रों को पाठ्यपुस्तक द्वारा उपर्युक्त मात्रिक ज्ञान अवगत होता है।

(ई) पूर्व माध्यमिक स्तर पर द्वितीय भाषा हिन्दी अध्यापन के उद्देश्य --

सामान्य उद्देश्य -

छात्रों में निम्न बातों में क्षमता बढाना --

१) हिन्दी का शुद्ध उच्चारण ।

२) हिन्दी के सरल और आसान विषयों पर संभाषण ।

३) हिन्दी के गद्य परिच्छेद, कहानियाँ, संवाद और आसान कविताओं को अर्थबोधता के साथ पढना ।

४) हिन्दी में पत्र-लेखन ।

५) हिन्दी व्याकरण का स्थूल परिचय ।

६) हिन्दी के आसान और सरल परिच्छेदों का मातृभाषा में अनुवाद करना ।

७) परिचित हिन्दी शब्द संग्रह को दृष्टि से बाल साहित्य पढना ।

८) चित्रपट, आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम सुनकर और देखकर मनोरंजन और ज्ञानार्जन करने की क्षमता बढाना ।

९) भारतीय संस्कृति की समन्वयात्मकता का परिचय देकर राष्ट्रभावना जागृत करना ।

१०) भारत के राष्ट्रीय जीवन में हिन्दी की महत्ता को समझाना ।

भाषिक शिक्षा के उद्देश्य --

भाषिक कौशलों की पूर्ति के लिए --

(क) श्रवण और भाषण के संबंध में अपेक्षित क्षमता -

१) हिन्दी के ध्वनि-उच्चारण सुनकर, मातृभाषा में होनेवाली समान ध्वनि उच्चारणों से तुलना करना ।

उदा.-- इ - ई, उ - ऊ, ए - ऐ, ओ - औ, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, अनुस्वार व चंद्रबिंदी इन का फर्क स्पष्ट करना ।

उदा. - हंस पृथ्वी, ।

निम्न वर्णों के उच्चारणों का फर्क स्पष्ट करना --

ण - न, क्ष - स, छ - क्ष, ५-६, ब - व, ड़ - ड, ६ - ६,

ज - ज, स - श - ष ।

२) हिन्दी की सभी प्रकार की ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से और स्पष्ट मानक शब्दों में उच्चारण करना ।

३) संयुक्त अक्षर युक्त शब्दों का शुद्ध रूप से उच्चारण करना ।

४) भाषण के समय लय,ताल,बलाघात,आदि का उचित प्रयोग करना ।

५) व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बोलना ।

६) हिन्दी में दी सामान्य सूचनाओं का अर्थ समझाना ।

७) हिन्दी के सरल और आसान विषयों के संवादों में हिस्सा लेना ।

८) हिन्दी की आसान कविताओं का वाचन और कहानी कथन ।

९) परिचित या अपरिचित व्यक्तियों को खुद के विचार हिन्दी में समझाना ।

१०) हिन्दी के आसान संवाद कंठस्थ करना एवं कार्यक्रमों में साभिनय हिस्सा लेना ।

११) चित्रपट,दूरदर्शन व रेडिओ के हिन्दी कार्यक्रम रंजन और ज्ञानार्जन के लिए सुनाना ।

(ब) वाचन और आकलन के लिए अपेक्षित क्षमता --

१. हिन्दी के सभी लिपि संकेत समझाना ।

२. हिन्दी के शब्द और वाक्यों का शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन ।

३. शुद्ध रूप से लिखे पत्र या रचनाओं को पढना ।

४. आसान संवाद के पाठ,कहानियाँ,रोचक निबंध,प्राणियों का वर्णन, अर्थबोधता के साथ वाचन और आकलन ।

५. पाठयपुस्तक में अंतर्भूत मध्यवर्ती कल्पना और विशेष सूचना या विचार संबंधी अंश को खोजना ।

६. जिन रचनाओं को पढा है उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना ।

(ग) अपेक्षित लेखन क्षमता --

१) हिन्दी के सभी ध्वनि-चिह्न और उनके अनुसार बने शब्दों का सुवाच्य लेखन करना ।

२) परिचित शब्दों को स्वीकृत लेखन पद्धति के वर्तनानुसार शुद्ध रूप से लिखना ।

३) आसान विषयों पर कुछ वाक्य या एक-दो परिच्छेद लिखना ।

४) हिन्दी में पत्र-लेखन ।

५) पद्दों या चित्र के आधार पर कहानी लेखन ।

६) व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध भाषा का प्रयोग करना ।

७) हिन्दी का मातृभाषा में अनुवाद करना ।

12708

संदर्भ - सूचि

१ डॉ.शर्मा लक्ष्मीनारायण
भाषा १,२,की शिक्षण-विधियाँ और पाठ नियोजन
प्रकाशक - विनोद पुस्तक मंदिर
रांगेय राघव मार्ग,आगरा-२
पृ.क्र.१९२ ।

२ प्रा.पंडित बन्सी बिहारी
हिन्दी अध्यापन
प्रकाशक श्री गो.के.जोगळेकर
नूतन प्रकाशन २२८१ सदाशिव पेठ
पुणे ४११ ०३०
पृ.क्र.२६ ।

३ डॉ.शर्मा लक्ष्मीनारायण
भाषा १,२,की शिक्षण विधियाँ और पाठ-नियोजन
प्रकाशक विनोद पुस्तक मंदिर
रांगेय राघव मार्ग,आगरा-२,
पृ.क्र.१९ ।

४ तत्रैव --
पृ.क्र.२१९ ।

५ प्रा.पंडित ब.बि.
हिन्दी का अध्यापन
नूतन प्रकाशन,२२८१ सदाशिवपेठ,
पुणे ४११०३०
पृ.क्र.२४ ।

६ - तदैव -
पृ.क्र.२३ ।

७ प्राथमिक शिक्षण अभ्यासक्रम १९८८
महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व
प्रशिक्षण परिषद,
पुणे-३०

८ -- तदैव --

डॉ.वास्कर पुष्पा
` संरचना स्वरूप,महत्व `
" हिंदीआशययुक्त अध्यापन पद्धति `